क्या आप मतदान स्थल तक नहीं पहुंच सकते?

2023 के आम चुनाव में मतदान करें

आप 2023 के आम चुनाव में सोमवार 2 अक्टूबर से लेकर चुनाव के दिन, शनिवार 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक मतदान कर सकते हैं। मतदान के लिए जाने से पहले मतदान स्थलों के खुलने के समय और मतदान स्थलों की जानकारी के लिए **vote.nz** पर जाएं।

अगर आप मतदान स्थल तक नहीं पहुंच सकते हैं, तब भी आप मतदान कर सकते हैं।

अधिक जानकारी यहां पर उपलब्ध है:

- **vote.nz** पर जाएं
- **0800 36 76 56** पर कॉल करें

Complete this form to authorise someone to collect voting papers on your behalf

Voter's details. Please print clearly.

My first name(s) are:

My last name is:

My contact telephone number is:

OFFICIAL USE ONLY:
Index reference

Address where I am enrolled to vote:

✓ Tick the electoral roll you believe you are enrolled on:

☐ General roll ☐ Māori roll

आपको कब और कहां मतदान करना है इसकी जानकारी **vote.nz** पर उपलब्ध है या **0800 36 76 56** पर कॉल करके मिल जाएगी। इसे EasyVote पैक्स में भी शामिल किया जाएगा जिसे नामांकित मतदाताओं को डाक से भेजा जाएगा।

आप मतदान स्थलों पर सोमवार 2 अक्टूबर से चुनाव के दिन, शनिवार 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक मतदान कर सकते हैं। मतदान के लिए जाने से पहले मतदान स्थलों के खुलने के समय और मतदान स्थलों की जानकारी के लिए **vote.nz** पर जाएं। मतदान स्थल चुनाव के दिन, शनिवार 14 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।

चुनाव के दिन काम का क्या होगा?

चुनाव के दिन आपको अपना काम बंद करके मतदान करने की कानूनी तौर पर अनुमति है। आप सोमवार 2 अक्टूबर से किसी भी मतदान स्थल पर जल्दी मतदान भी कर सकते हैं।

अगर आप किसी केयर होम में हैं आप तब भी मतदान कर सकते हैं

अगर आप केयर होम में हैं, तो आपको हमसे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्थानीय निर्वाचन प्रबंधक मतदान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए आपके केयर होम के प्रबंधक से संपर्क करेगा।

अगर आप अस्पताल में हैं तब भी आप मतदान कर सकते हैं

अगर आप अस्पताल में होने की वजह से मतदान स्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो सोमवार 2 अक्टूबर से आपका कोई मित्र या परिवार का सदस्य आपके लिए आपका मतदान पत्र ला सकता है। यदि आप चुनाव के दिन से पहले अस्पताल जाने वाले हैं, तो यदि संभव हो तो, सोमवार 2 अक्टूबर से पहले ही मतदान करना सबसे बेहतर है। अधिक जानकारी के लिए हमें **0800 36 76 56** पर कॉल करें।

अगर आप मतदान स्थल तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आपके विकल्प

हम उन लोगों के लिए मतदान सेवाएं प्रदान करते हैं जो मतदान स्थल तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप खुद मतदान करने में असमर्थ हैं, उदाहरण के लिए, खराब स्वास्थ्य या बीमारी के कारण, तो आप किसी को अपने मतदान पत्र लाने के लिए कह सकते हैं या मतदान पत्र भेजे जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किसी से आपके मतदान पत्र लेने के लिए कहें

अगर आप किसी मतदान स्थल तक नहीं जा सकते हैं, तो संलग्न फ़ॉर्म को पूरा करें और उस पर हस्ताक्षर करें तथा किसी को इसे आपके लिए मतदान स्थल पर पहुंचाने के लिए कहें। फिर वे आपके पूरा करने के लिए आपके मतदान पत्र वापस लाएंगे।

अगर आपकी ओर से आपके मतदान पत्र एकत्र करने वाला कोई नहीं है, तो हम उन्हें आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। कृपया हमें **0800 36 76 56** पर कॉल करें।

अपना मतदान पत्र कैसे वापस करें

आप चाहें तो:

किसी को अपने सभी मतदान पत्र शनिवार 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे से पहले मतदान स्थल पर वापस पहुंचाने के लिए कह सकते हैं।

अगर आपके पास रिटर्न कूरियर पैक है, तो कूरियर पिकअप की व्यवस्था करने के लिए पैक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें, अन्यथा अगर आपको सहायता की जरूरत है तो **0800 36 76 56** पर हमें कॉल करें।

Give my voting papers to the person I have authorised

The name of the person I have authorised to collect and deliver my voting papers to me is:

☐ ✓ **I have been authorised to collect and deliver voting papers to the voter named on this form.**

Signature of authorised person	Date

Signature of voter	Date

Note: this application must be signed for it to be valid